संख्या- 2/2020/बी-4-86/दस-2020-10(20)-88

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
2- प्रमुख सचिव,
सहकारिता विभाग,
3- प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
4- प्रमुख सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 02 जून, 2020

विषयः शासकीय गारण्टी स्वीकृत/निर्गत किये जाने संबंधी प्रस्तावों का प्रेषण।

महोदय,

विभिन्न प्रशासकीय विभागों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने की आवश्यकता होती है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे मामलों में शासकीय गारण्टी की मांग की जाती है।

2- शासकीय गारण्टी स्वीकृत/निर्गत किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग को सहमति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। गारण्टी प्रस्ताव प्रायः आवश्यक सूचनाओं के बिना वित्त विभाग को भेज दिये जाते हैं, जिससे वित्त विभाग के स्तर पर प्रस्तावों के परीक्षण में कठिनाई होती है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा गारण्टी स्वीकृत/निर्गत किये जाने संबंधी प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर सूचनाओं सहित वित्त विभाग को प्रेषित किये जायें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 2/2020/बी-4- 86 (1)/दस-2020-10(20)-88 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
3. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं० -2/2020/बी-4-86/दस-2020-10(20)-88, दिनांक 02-06-2020 का संलग्नक -1

गारंटी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रारूप

(धनराशियाँ लाख रुपये में दी जाएँ)

1	सार्वजनिक उपक्रम/संस्था जिसके पक्ष में गारंटी स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है	
2	गत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक संस्था के पक्ष में स्वीकृत कुल गारंटी की आउटस्टैंडिंग राशि **(**सूचना संलग्नक -**2** के प्रारूप पर दी जाये)	
3	पूर्व में स्वीकृत शासकीय गारंटी के सापेक्ष डिस्चार्ज (discharge) हो चुकी गारंटियों की राशि	
4	क्या संस्था के पक्ष में निर्गत शासकीय गारंटी इन्वोक (invoke) हुयी है ? तत्संबंधी विवरण दिया जाये |	
5	वर्तमान वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से अब तक संस्था के पक्ष में स्वीकृत कुल गारंटी की राशि	
6	प्रस्तावित गारंटी की राशि	
7	वित्तीय संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया जाना प्रस्तावित है	
8	ऋण की अवधि एवम ब्याज दर	
9	ऋण की आवश्यकता औचित्य सहित स्पष्ट की जाये | वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाये	
10	गारंटी स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग की आख्या	

प्रशासकीय विभाग के विशेष सचिव से निम्न अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक–2

(लाख रूपयें)

1– पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति

क्रमांक	वित्तीय वर्ष जिसमें गारंटी स्वीकृत की गयी	स्वीकृत गारंटी की राशि	निर्गत गारंटी	डिस्चार्ज गारंटी (धनराशि तथा डिस्चार्ज होने का वर्ष इंगित किया जाये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योग				

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष की स्थिति

क्रमांक	01 अप्रैल से अद्यावधिक स्वीकृत नयी गारंटी	01 अप्रैल से निर्गत गारंटी (नयी स्वीकृति के सापेक्ष)	01 अप्रैल से निर्गत गारंटी (पूर्व स्वीकृत गारंटी के सापेक्ष)
(6)	(7)	(8)	(9)
योग			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।